फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री गौरव वैरागी निवासी वार्ड नं. 09, दोवड, कानादेव का गुडा तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 18 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :- आर.टी.आई / 26 / 330–331 दिनांक 25.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री गौरव वैरागी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के संबंध में बिन्दुवार निवेदन इस प्रकार है कि अपीलार्थी का आवेदन नं. 244935305139027 दिनांक 30.01.2026 का इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के ऑनलाईन क्रमांक नं. 6452544937 दिनांक 27.02.2026 से तैयार सूचना उपलब्ध करा दी गई। जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दोवड का पटवार मण्डल सुन्दरचा तहसील राजसमन्द की नामान्तरकरण संख्या 137 की नकल एवं जमाबन्दी संवत् 2030 व संवत् 2077 की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। अन्य सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। चाही गई सूचना प्रश्नवाचक होकर सूचना तैयार कर देने का प्रावधान नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना तैयार कर उपलब्ध करा दी गई। अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा वांछित सूचना कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार अपीलार्थी को जरिये ऑनलाईन क्रमांक नं. 6452544937 दिनांक 27.02.2026 से उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)